<u>कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर</u>

क्रमांकः-जी.डी.I/आर.ओ/ए.एम.सी/ के.56/2024-25/ दिनांकः

<u>निविदा आमंत्रण</u>

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर में स्थापित 03 आर.ओ. 50 लीटर क्षमता वाले की वार्षिक अनुरक्षण एवं मरम्मत (AMC) की अवधि दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक के लिये निविदाऐं GEM पोर्टल पर आमन्त्रित की जाती हैं ।

इस निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्तें इस कार्यालय की वेबसाइट (https://cag.gov.in/ae/rajasthan/en) पर उपलब्ध है |

हस्ता./-

व.उप महालेखाकार (प्रशासन)

<u>निविदा के नियम एवं शर्ते</u>

1. सफल निविदादाता को कुल संविदा राशि का 5 प्रतिशत प्रतिभूति गारंटी के रूप में बैंक गारन्टी/एफ.डी.आर PAO (IA&AD), Rajasthan, Jaipur के पक्ष में 15 माह के लिए कार्यालय में कार्यादेश जारी होने के 5 कार्यदिवस के अन्दर जमा करवानी होगी ।

2.फर्म का पंजीकृत कार्यालय जयपुर में होना चाहिए | वर्तमान पते का अद्यतन (latest) प्रमाण पत्र सलंग्न किया जाना चाहिए जिससे भौतिक सत्यापन किया जा सके |

3. आर.ओ. 50 लीटर क्षमता वाले की वार्षिक अनुरक्षण एवं मरम्मत (AMC) की अवधि दिनांक 01 अप्रेल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की होगी । वार्षिक अनुरक्षण संविदा के अन्तर्गत फर्म द्वारा प्रत्येक माह आर.ओ. की सर्विस प्रदान करनी होगी |

4.प्रत्येक सर्विस के दौरान टी.डी.एस. लेवल की जांच की जाएगी एवं प्रत्येक सर्विस के दौरान Sediment Filter बदला जाना चाहिए ।

5. आर. ओ. में जो भी पार्टस लगाये जायेंगे वे अच्छी एवं ब्रान्डेड कम्पनी के होंगे तथा उनकी वारन्टी न्यूनतम 6 माह की देनी होगी ।

6.संलग्न अनुसूची 'ए' में Servicing की दरें एवं पार्टस की दरे स्पष्ट रूप से अकित करे (दरे जी एस टी एवं सभी करो सहित) तथा शर्तो एवं वारंटी का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। सूची के वर्णित पार्टस के अतिरिक्त यदि अन्य कोई पार्टस की आवश्यकता है तो उनकी दरें भी अंकित करें।

7. भुगतान के समय Income Tax Act, 1961 के अनुसार समय समय पर TDS काटा जायेगा |

8. फर्म को आर.ओ. खराब होने की दूरभाष या लिखित में शिकायत मिलने पर उसी दिन उसे सर्विस इंजिनियर को खराब आर. ओ. की मरम्मत करने के लिये भेजना होगा। शिकायत मिलने के 02 कार्य दिवस के अन्दर यदि फर्म कार्य नहीं करती है तो तीसरे कार्य दिवस से 100/- प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति शुल्क वसूल किया जावेगा |

9. यदि आर.ओ. मे कोई खराबी है एवं उसे रिपेयर करने या पार्टस बदलने के लिये वर्कशॉप में ले जाने की आवश्यकता है तो कार्यालय के अधिकृत गेट पास प्राप्त कर ही मशीन या पार्टस बाहर ले जायेंगे एवं ले जाने की दिनांक से 02 कार्य दिवस के भीतर कार्यालय में वापस स्थापित करनी होंगी, मशीन की Safe Custody के लिए फर्म पूर्णतः जिम्मेदार होगी।

10. फर्म को किसी भी खराब आर.ओ. की लिखित या मौखिक शिकायत मिलने पर वह कार्यालय के जी.डी. अनुभाग के संबंधित कर्मचारी को साथ लेकर उस खराब आर.ओ का निरीक्षण कर उसमें होने वाली मरम्मत, पार्टस को बदलने, आदि कार्य की जॉब स्लिप एवं खर्चे का अनुमान तैयार कर जीडी अनुभाग को प्रस्तुत करेगा एवं जी.डी. अनुभाग के अनुमोदन के पश्चात ही उस खराब आर.ओ. की मरम्मत, पार्टस को बदलने आदि का कार्य करेगी। पुराने पार्टस उसे जी. डी. अनुभाग में जमा कराने होंगे तथा किये गये कार्य, AMC का बिल 07 दिवस के भीतर भुगतान हेतु तीन प्रतियों में जी.डी. अनुभाग को प्रस्तुत करेंगे ।

11. इस अवधि के दौरान यदि फर्म का कार्य सन्तोषजनक पाया जाता है तो AMC की अवधि में विस्तार किया जा सकता है ।

12. यदि फर्म दो दिवस में आर.ओ. की रिपेयर करने में असफल रहती है तो उसके लिये की गई वैकल्पिक व्यवस्था पर जो भी व्यय होगा उसकी वसूली फर्म के बिलों से की जावेगी |

13. यदि यह प्रमाणित होता है की कार्यालय परिसर में आपके कर्मचारियों द्वारा कोई भी चोरी या सरकारी सम्पत्ति के साथ छेडछाड़ की गयी है तो आवशयक क़ानूनी कार्यवाही की जायेगी व हानि की राशि फर्म द्वारा वहन की जायेगी |

14. AMC प्रदाता फर्म को भुगतान उसके द्वारा किये गए संतोषजनक कार्य के लिए तिमाही आधार पर किया जायेगा

15. वरि. उपमहालेखाकार (लेखा व हक़) राजस्थान, जयपुर को अधिकार होगा कि वे किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं |

16. फर्म के कर्मचारियों द्वारा यदि कार्यालय की किसी संपत्ति का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई फर्म से की जावेगी |

17. उक्त शर्तो के पालनार्थ फर्म को 500/- रूपये गैर न्यायिक स्टाम्प पर शपथ पत्र/सहमति पत्र देना होगा |

18. यदि फर्म का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसे एक माह के नोटिस के पश्चात निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार इस कार्यालय को होगा |

19. इस टेंडर के अंतर्गत किसी भी शर्त अथवा दावे के संबंध में कोई भी विवाद हो तो उसे वरि. उपमहालेखाकार (लेखा व हक़) राजस्थान, जयपुर को विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा और उनका निर्णय अंतिम होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा |

23.फर्म को जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन, फर्म का रजिस्ट्रेशन एवं KYC details के साक्ष्य भी प्रस्तुत करने होंगें ।

24.निविदा के साथ संलगन EXCEL शीट पूर्णतया भरी होनी चाहिए, अपूर्ण शीट वाली फर्मो का आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा |

संलग्न: सूची ए

हस्ता./-

वरिष्ठ लेखाधिकारी/जी.डी.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

फर्म का नाम मय मोहर

Annexure " A"

Rates of servicing, Parts etc., for R.O as per terms & conditions

S.No.	Items	
1.	Servicing of R.O.(50 Litre) per unit	
2.	Membrain 80 GPD	
3.	Pump 48 Watt	
4.	Adopter 48 watt	
5.	SMPS 48 Watt	
6.	Main S.V. ON/OFF	
7.	Tank Level	
8.	Pump Head	
9.	Membrain Houging	
10.	Post Carbon 20 Inch	
11.	Pre Carbon Filter 20 Inch	
12.	Silver Active Carbon 20 Inch	
13.	Active Test Filter 20 Inch	
14.	CTO Filter 20 Inch	
15.	CTO Filter 20 Inch Houging	
16.	Pre Carbon Filter 20 Inch Houging	
17.	Post Carbon 20 Inch houging	
18.	Sendiment Filter 20 Inch houging	
19.	F.R. 450	
20.	Anti Tablet (per tablet)	
21.	Pipe ¼	
22.	Pipe ¾	
23.	Houging LBO	
24	RO Body ss	
25	Pump 24 watt	
26	SMPS 48 Watt	